

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/24 पार्ट-4

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	दीपक कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. उपरोक्त संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2022 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>.

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :11-08-2025 01:34:37

**RajKaj Ref No.:
17069696**

eSign DSC